# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 56 सन 2015

अनवान :–

1. भागराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1. मगतूराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. मीरा पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

6. खेताराम पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
7. रामरतन पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
8. निरमा पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
9. शान्ति पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
10. चन्द्रावली पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
12. प्रमेश्वरी पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**तरतीबी प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :–** 21/04/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण इसप्रकार से अप्रार्थी /प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता कालुराम पुत्र मालाराम को दिनांक 01.11.1977 को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10.00 बीधा भूमि अन्तोदय योजना के तहत भूमिहीन में आवंटन की गई थी जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम ने आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अकित किया गया था कि कालूराम पुत्र मालाराम ने तथ्यो को छुपाकर मिथ्या कथनो के आधार पर आवंटन कराया गया है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.01.1984 को प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पिता मोतीराम ने आवंटी कालूराम के अन्तोदय में चयनित होने के समय में कोई ऐतराज नही किया गया इसलिये आवटि कालूराम भूमि आवंटन का पात्र था।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11.01.1984 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 40/2001 अनवानी खेताराम बनाम दिवंगत कालूराम प्रस्तुत की गई इस दोरान खेताराम एव कालूराम दोनो का देहान्त हो चुके है जिसके विधिक अधिकारीयों के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रींगंगानगर में अपील पेश की गई थी जो कालान्तर में क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के बाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी ह[illegible] को प्राप्त हुई माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.03.2002 को निर्णय पा[illegible] जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 11.01.1984 को अपास्त किया [illegible] आवटि कालूराम [illegible] मालाराम जाति नायक निवासी सांगठिया को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 [illegible] 10.00 बीधा भूमि का दिनांक 01.11.1977 को किया गया आवंटन निरस्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(111) के अनुसार आवंटी के हित खातेदारी बाबत क्यो ना हो भी समाप्त माने जावेगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित /रिमाण्ड किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनकर अपीलान्ट के कब्जा काश्त व आवटन प्रार्थना पत्र बाबत विवादित भूमि पर विचार किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 08.03.2002 आवंटी कालूराम पुत्र मालाराम के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 1758 /2002 अनवानी मोहनलाल पुत्र कालूराम बनाम खेताराम पुत्र मोतीराम प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने सुनवाई उपरान्त दिनांक 01.06.2011 को खारिज किया जाकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को निर्णय यथावत रखा गया ।

प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया वादी की और से श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के साथ राजीनामा किया जाकर राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया था तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किया गया राजीनामा पेश होने के कारण अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने के उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10.00 बीधा भूमि पश्चिमी पासा भूमि को उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 01.11.1977 को कालूराम पुत्र मालाराम को आवंटन की गई थी के समय वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था कालूराम पुत्र मालाराम के पास पूर्व से ही काफी भूमि थी कालूराम ने उपखण्ड अधिकारी से तथ्यों को छुपाकर वादी के पिता के कब्जा काश्त की भूमि का आवंटन करवा लिया था प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता कालूराम भूमि आवंटन करवाने के पात्र नही थे केवल तथ्यो को छुपाकर वादी के पिता के कब्जा काश्त की भूमि को आवंटन करवा लिया जिसकी अपील करने पर तथ्य प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता कालूराम पुत्र मालाराम को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है

वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 है रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10 बीधा भूमि आज भी वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 या उनके पिता के कब्जा काश्त में नही रही है वाद भूमि को वादी आवंटन करवाने का प्रथम श्रेणी का पात्र है क्योकि की वाद भूमि सदामत से पूर्व में वादी के पिता के कब्जा काश्त मे थी एवं तत्समय भूमि आवंटन करवाने के पास थी तथा वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि आज भी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कब्जा काश्त में चली आ रही है आज भी भूमि आवंटन करवाने के प्रथम श्रेणी के हकदार है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10 बीधा भूमि जो वर्तमान में हैक्टयर में पैमुद होकर खसरा न0 212/1 की 2.5920हैक्‍ में परिर्वतन होकर जमाबन्दी में दर्ज है जो कालूराम पुत्र मालाराम के वारिसान के नाम दर्ज है जबकि कालूराम पुत्र मालाराम जाति नायक को किया गया आवंटन माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा निरस्त किया जा चुका है राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन विधि विरूद्व है माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 08.03.2002 की पालना में अराजीराज दर्ज किया जाना [illegible] गया है।

वाद भूमि वादीगण के हक हिस्से [illegible] है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे आवंटन करवाने [illegible] वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है वादी को उपनिवेशन नियमो के तहत राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रो/अधिसूचनाओं के तहत किमतन आवंटन किया जाता है तो भी कोई ऐतराज नही है जिसके लिये वादीगण तेयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 जो आवटी कालूराम के वारिसान है ने राजीनामा किया जाकर राजीनामा न्यायालय में इस आश्य का पेश किया गया है कि वाद भूमि सदामत से वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम के कब्जा काश्त में थी तथा मोतीराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है हमारा उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही हम भूमि आवंटन करवाने के पात्र है क्योकि वाद भूमि सदामत से पूर्व में वादी के पिता एव वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि मोतीराम के वारिस वादी का आवंटन की जाती है तो हमे कोई ऐतराज नही है तथा पृथक से शपथ पत्र भी पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कालूराम के वारिसान के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है वादी वाद भूमि आवंटन करवाने का प्रथम श्रेणी का हकदार है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार /डिक्री किया जाकर रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212/1 की 2.5920हैक बारानी भूमि आवंटन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एव राशि यदि आवश्यक हो तो जमा करवाने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थी /प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता कालुराम पुत्र मालाराम को दिनांक 01.11.1977 को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10.00 बीधा भूमि अन्तोदय योजना के तहत भूमिहीन में आवंटन की गई थी जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम ने आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें अकित किया गया था कि कालूराम पुत्र मालाराम ने तथ्यो को छुपाकर मिथ्या कथनो के आधार पर आवंटन कराया गया है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.01.1984 को प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पिता मोतीराम ने आवंटी कालूराम के अन्तोदय में चयनित होने के समय में कोई ऐतराज नही किया गया इसलिये आवटि कालूराम भूमि आवंटन का पात्र था।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11.01.1984 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 40/2001 अनवानी खेताराम बनाम दिवंगत कालूराम प्रस्तुत की गई इस दोरान खेताराम एव कालूराम दोनो का देहान्त हो चुके है जिसके विधिक अधिकारीयों के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रींगंगानगर में अपील पेश की गई थी जो कालान्तर में क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के बाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को प्राप्त हुई माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.03.2002 को निर्णय पारित किया जाकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 11.01.1984 को अपास्त किया तथा आवंटि कालूराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी सांगठिया को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10.00 बीधा भूमि का दिनांक 01.11.1977 को किया गया आवंटन निरस्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(111) के अनुसार आवंटी के हित खातेदारी बाबत क्यो ना हो भी समाप्त माने जावेगे तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित /रिमाण्ड किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनकर अपीलान्ट के कब्जा काश्त व आवटन प्रार्थना पत्र बाबत विवादित भूमि पर विचार किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 08.03.2002 आवंटी कालूराम पुत्र मालाराम के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 1758 /2002 अनवानी मोहनलाल पुत्र [illegible] बनाम खेताराम पुत्र मोतीराम प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर [illegible] सुनवाई उपरान्त दिनांक 01.06.2011 को खारिज किया जाकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को निर्णय यथावत रखा गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया वादी की और से श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता उपस्थित आये

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के साथ राजीनामा किया जाकर राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया था।

वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 है रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10 बीधा भूमि आज भी वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 या उनके पिता के कब्जा काश्त में नही रही है वाद भूमि को वादी आवंटन करवाने का प्रथम श्रेणी का पात्र है क्योकि की वाद भूमि सदामत से पूर्व में वादी के पिता के कब्जा काश्त मे थी एवं तत्समय भूमि आवंटन करवाने के पास थी तथा वादी के पिता मोतीराम पुत्र उदाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि आज भी वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कब्जा काश्त में चली आ रही है आज भी भूमि आवंटन करवाने के प्रथम श्रेणी के हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है उन्ही के कब्जा काश्त में सदामत से चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त में कभी भी नही रही है वर्तमान में भी वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कब्जा काश्त में हे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनो के समर्थन में शपथ पत्र राजीनाम भी पेश किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता कालूराम को रोही मौजा सांगठिया के खसरा न0 212 की 10.00 बीधा अर्थात 2.5920हैक्ट भूमि दिनांक 01.11.1977 को आवंटन की गई थी जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2022 द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को पुन सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कथनों को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने राजीनाम कर राजीनामा न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कब्जा काश्त की भूमि है जो पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पिता मोतीराम के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 या उनके पूर्वजों के वाद भूमि कभी भी कब्जा काश्त मे नही रही थी पूर्व में कब्जा काश्त होने का गलत/झुठा कथन कर भूमि आवंटन करवा ली थी जिसे निरस्त किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि जिसे हमारे नाम अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से कलमजन कर वादी एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा एव शपथ पत्र भी पेश किये जा चुके है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 91/94 के खसरा न0 212/1 की 2.5920हैक्ट भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर [illegible] जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर [illegible] की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

**अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. भागराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1 मगतूराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. मीरा पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

6. खेताराम पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
7. रामरतन पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
8. निरमा पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
9. शान्ति पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
10. चन्द्रावली पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
12. प्रमेश्वरी पुत्री मोतीराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 56 सन 2015 निर्णय दिनांक –** 21/04/2025

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 91/94 के खसरा न0 212/1 की 2.5920हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:48:27 IST
Reason: SelfAttested